संख्याः सं0वि0क0नि0-5-3313/11-2007-500(85)/2001

प्रेषक,

के0 चन्द्रमौलि,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक निबन्धन,
उ0 प्र0, इलाहाबाद।

संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 20 सितम्बर, 2007

विषयः- उत्तर प्रदेश विशेष आर्थिक परिक्षेत्र (संशोधित) नीति, 2007 के अन्तर्गत स्टाम्प शुल्क से छूट दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार के विशेष आर्थिक परिक्षेत्र अधिनियम-2005 (संख्या:28/2005) जिसे दिनांक 10-2-2006 से प्रभावी कर दिया गया है, के परिप्रेक्ष्य में भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा-3 के अन्तर्गत परन्तुक में खण्ड(2) के बाद निम्नलिखित खण्ड(3) सम्मिलित कर दिया गया है :-

(3) any instrument executed, or, on behalf of, or in favour of the developer or unit or in connection with the carrying out of purposes of the Special Economic Zone.

Explanation- For the purposes of this clause, the expressions "Developer," "Special Economic Zone" and "Unit" Shall have meanings respectively assigned to them in clause (g), (za) and (zc) of section 2 of the Special Economic Zones , Act, 2005.

2- उपर्युक्त सन्दर्भित शब्द विकासकर्ता {Developer}, विशेष आर्थिक परिक्षेत्र {Special Economic Zone} एवं इकाई {Unit} के वही अर्थ होंगे जो विशेष आर्थिक परिक्षेत्र अधिनियम, 2005 में दिये गये हैं। उक्त अधिनियम में शब्दों की परिभाषा निम्नवत दी गयी है-

विकासकर्ता (Developer)

"Developer" means a person who, or a State Government which, has been granted by the Central Government a letter of approval under sub-section (10) of section 3 and includes an Authority and a Co-Developer.

विशेष आर्थिक परिक्षेत्र (Special Economic Zone)

"Special Economic Zone" means each Special Economic Zone notified under the proviso to sub-section (4) of section 3 and sub-

http://udyogbandhu.up.nic.in/government_order/IP_GO/Kar_Nib/kar_nibanhan_5_2116.pdf 20-04-09

section (1) of section 4 (including Free Trade and Warehousing Zone) and includes an existing Special Economic Zone.

इकाई (Unit)

"Unit" means a Unit set up by an entrepemeur in a Special Economic Zone and includes an existing Unit, an Offshore Banking Unit and a Unit in an International Financial Services. Centre, whether established before or established after the commencement of this Act.

[illegible] अधिनियम में भारत सरकार द्वारा किये गये उक्त संशोधन के अनुरूप कार्यवाही हेतु सभी सम्बन्धित को समुचित निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(के0 चन्द्रमौलि) 20/9

प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1– अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0शासन।

2– सचिव, औद्योगिक विकास विभाग उ0प्र0शासन।

आज्ञा से,

(कपिलदेव त्रिपाठी)

विशेष सचिव।

कार्यालय महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश शिविर, लखनऊ।

संख्या 1137 (1–3) / शि0का0लख0 / 2007 दिनांक 04 – 10 – 2007

प्रतिलिपि:–

1– समस्त उप/सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तर प्रदेश को इस अनुरोध के साथ कि कृपया उपरोक्त शासनादेश दिनांक 20.09.2007 की प्रति अपने स्तर से जनपद के जिलाधिकारी/ अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) एवं अन्य सम्बन्धित को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

2– अपर महानिरीक्षक निबन्धन (प्रशासन/प0क्षे0), उ0प्र0, इलाहाबाद/ गाजियाबाद।

3– गार्ड फाईल में चस्पा करने हेतु।

(विजय देव शर्मा)

सहायक महानिरीक्षक निबन्धन,

शिविर कार्यालय, लखनऊ।